न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—111/2020/225 आर.टी.एक्ट (2020/111)

1. बंशीधर शर्मा दत्तक पुत्र स्व0 श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा जाति ब्राहमण उम्र करीबन 59 वर्ष निवासी ब्राहम्णों का मौहल्ला बान्दरसिंदरी तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्था।

अपीलांट

बनाम

1. शांति देवी पत्नि श्री रामेशचंद शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी शार्दूल स्कूल के पास वाली गली, सत्यदेव प्रिन्टर्स के ऊपर मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर राजस्था।
2. मंजू देवी पत्नि श्री ललित कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी दधिची स्कूल के सामने, कृष्णापुरी, मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
3. गिरिराज पुत्र श्री महेशचंद शर्मा
4. आशिष पुत्र श्री महेशचंद शर्मा
5. चेतन कुमार पुत्र श्री महेशचंद शर्मा
   सर्व जाति ब्राहमण सर्व निवासीगण मु0पो0 झिपिया वाया मसूदा तहसील भिनाय जिला अजमेर राजस्थान।
6. रेखा पत्नि चन्द्रप्रकाश शर्मा जाति ब्राहमण निवासी मु0पो0 विजयापुर (परलीया खेडा) वाया कवलियास जिला भीलवाडा राजस्थान।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
8. उपपंजीयक, किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 17.03.2020 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ राजस्व वाद संख्या 75/2016

उपस्थितः—

1. श्री रामदेव गुर्जर अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मोहम्मद इकबाल अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री विकास पराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 7 व 8
4. रेस्पोडेंट संख्या 2 से 6 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—21.08.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ द्वारा प्रकरण संख्या 75/2016 में पारित आदेश दिनांक 17.03.2020 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद पत्र प्रस्तुत किया जिसमें वाद पत्र के साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 17.03.2020 को खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ द्वारा प्रकरण संख्या 75/2016 में पारित आदेश दिनांक 17.03.2020 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 2 से 6 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि उपरोक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.03.2020 को पारित किया गया है जिसके पश्चात दिनांक 21.03. 2020 को कोरोना महामारी के चलते संपूर्ण भारत में लॉकडाउन लगा हुआ था एवं उसके पश्चात न्यायालय खुलने के बाद अपीलाधीन आदेश की नकल दिनांक 06.07.2020 को प्राप्त कि गई जो जानकारी से अंदर मियाद पेश है परंतु विधिक आक्षेपों से बचने के लिए अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत किया जा रहा है। वैश्विक महामारी कोविड–19 के कारण राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा वादी/अपीलों/निगरानी आदि के प्रस्तुतीकरण में विलंब अवधि को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त आदेश सूओं मोटो रिट पिटीशन नम्बर 3/2020 दिनांक 23.03.2020 से पारित आदेशानुसार उक्त अवधि दिनांक 23.03.2020 से 29.06.2020 तक को परिसीमा अवधि में सम्मिलित नहीं किया जावे अर्थात उक्त अवधि परिसीमा गणना से बाहर रहेगी। इस प्रकार प्रार्थी/अपीलांट सद्भाविक रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया।

न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2002(1) के अनुसार परिसीमा अधिनियम 1963– धारा–5 विलम्ब का उपशमन–विलम्ब, उपशमन के प्रश्न पर विचार करते समय सर्वप्रथम न्यायालय को मामले के गुणावगुण पर विचार करना चाहिए–यदि मेरिट पर मामला अच्छा है तो विलम्ब माफ कर दिया जाना चाहिए।

हम प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक प्रतीत होते हैं, ऐसी स्थिति में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं। *अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।*

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अपीलान्ट को सामाजिक रिति रिवाज एवं रूढी प्रथा के अनुसार बाल्यकाल की अवस्था में ही दत्तक पिता रामेश्वर प्रसाद स्वयं द्वारा एवं मौतबिरान व्यक्तियों एवं अप्रार्थी संख्या 1, 2 एवं अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 6 की माता के समक्ष गोद पुत्र लिया गया था उस गोद तहरीर पर हस्ताक्षर है एवं प्रार्थी के समस्त दस्तावेज में भी प्रार्थी की वल्दियत रामेश्वर प्रसाद अर्थात मृतक खातेदार की ही इन्द्राज है एवं मृतक खातेदार रामेश्वर प्रसाद द्वारा अपने जीवन काल में ही प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 06.06.1996 को एक वसीयतनामा भी प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित किया गया है जिसमें अंकित किया गया है कि "मैं (रामेश्वर प्रसाद) मेरी धर्मपत्नि रामकन्या जिंदे है जमीन–जायदाद, चल सम्पति आदी पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा दोनो की मृत्यु के बाद बंशीधर पुत्र रामेश्वर प्रसाद का स्वत्व पूर्ण अधिकार किसी मृतक खातेदार की मृत्यु के बाद होता है पूर्ण अधिकार बंशीधर पुत्र रामेश्वर प्रसाद का होगा इसमें कोई रोक नहीं लगा सकेगा दिनांक 06.06.1996 को उक्त वसीयतनामा प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित किया गया है जो नोटेरी फाईड है" इस प्रकार प्रार्थी के समस्त दस्तावेज जैसे राशनकार्ड, निर्वाचन नामावली एवं समस्त दस्तावेजात में मृतक खातेदार का दत्तक पिता के रूप में इन्द्राज हो गया है एवं ग्राम पंचायत द्वारा भी प्रार्थी को स्वामित्व प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी वसीयतनामा एवं गोदी पुत्र होने के कारण न्यायालय के समक्ष मृतक खातेदार की आराजी में घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने हेतु वाद पेश किया गया है। प्रार्थी दत्तक पुत्र की घोषणा हेतु वाद पेश नहीं किया गया है जबकी आराजी में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु वाद पेश किया गया है। दोनो अभिकथनों में अलग–अलग अनुतोष में भिन्नता है चुंकि प्रार्थी दत्तक पुत्र घोषित पूर्व में ही किया जा चुका है एवं प्रार्थी के पास में मृतक खातेदार की वसीयत निष्पादित कि गयी है जिसके आधार पर अप्रार्थीगण का कोई हक अधिकार नहीं होने बाबत् वसीयत में अंकन किया गया है। अप्रार्थी संख्या 3, 4, 5, 6 मृतक खातेदार रामेश्वर प्रसाद की जायन्दा पुत्री मृतक बसंती देवी के वारीसान है। जो न्यायालय के समक्ष जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है" जिसमें पैरा संख्या 3 में स्पष्ट अंकित किया गया

है कि जवाबकर्तागण के सगे नाना–नानी के जायन्दा पुत्र नहीं होने से प्रार्थी को अर्थात प्रार्थी को बाल्य अवस्था में दत्तक ग्रहण कर लिया था एवं प्रार्थी के पक्ष में एक वसीयतनामा दिनांक 06.06.1996 को निष्पादित किया गया था जिसमें महेशचन्द शर्मा के उक्त वसीयत में हस्ताक्षर है। इस प्रकार विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि Admission is the best of law अर्थात किसी दस्तावेज पर दी गयी अभिस्वीकृती सबसे अच्छी साक्ष्य मानी जायेगी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के ससुर कन्हैयालाल शर्मा के हस्ताक्षर भी है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना दस्तावेजो का ग्रहणता से अवलोकन न करके अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलान्ट के दत्तक पिता द्वारा वसीयत में स्पष्ट अंकित किया गया है कि "मैं (रामेश्वर प्रसाद) एवं मेरी पत्नि रामकन्या के मरने के पश्चात् ही प्रार्थी/बंशीधर द्वारा मेरी चल–अचल सम्पति में हक–अधिकार होगा इस कारण से मृतक खातेदार के फौत होने के पश्चात् मृतक की पत्नि रामकन्या का ही विरासत का इन्द्राज किया गया था वसीयत की शर्तों के अनुसार प्रार्थी रामकन्या के जीवित रहते हुये सम्पति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं था" एवं अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ऐतराज किया गया कि "प्रार्थी के मूल जनक पिता जगदीश प्रसाद की मृत्यु के पश्चात् विरासत का नामान्तकरण प्रार्थी के पक्ष में खुल चुका है" इस अभिकथनों का जवाब इस प्रकार से है कि "प्रार्थी ने सक्षम प्राधिकरण के समक्ष ऐसा कोई प्रार्थना पत्र विरासत बाबत् पेश नहीं किया गया है प्रार्थी के भाई श्रीनारायण द्वारा गलत सजरा पेश करके प्रार्थी के जनक पिता जगदीश प्रसाद कि आराजी में नामान्तकरण प्रार्थी का भी खुलवा दिया है जबकी प्रार्थी का मुल जनक पिता जगदीश प्रसाद की सम्पति में कोई अधिकार नहीं है एवं न ही मौके पर प्रार्थी काबिज काश्त है यह तथ्य भी साक्ष्य से सिद्ध किया जाना शेष है। न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि मृतक रामेश्वर प्रसाद का दाह संस्कार भी अपीलान्ट द्वारा रिति–रिवाज अनुरूप करवाया गया था अप्रार्थी संख्या 2 मंजू देवी ने अपने जबाव प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट के प्रार्थन पत्र को स्वीकार करने का निवेदन कर अंकित किया कि अपीलान्ट द्वारा रामेश्वर प्रसाद एवं रामकन्या के प्रति सभी सामाजिक दायित्वों का निर्वहन किया गया है माननीय उच्च न्यायालय के कई आदेशों में यह अभिनिर्णीत है कि पारिवारिक विवाद में विवाद पर अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जा सकता है अपीलान्ट उक्त आराजी पर सद्भाविक रूप से काश्त करता आ रहा है यदि अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जाता है तो दावे का औचित्य खत्म हो जायेगा। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी दृष्टीकोण को नजरअन्दाज करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष साफ कर दिया गया था कि हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के प्रावधान कि धारा 10, 11, 16 तथा 17 की पालना कि गई है अथवा नहीं का निर्णय तनकी उपरान्त ही किया जायेगा मेरे पक्ष में वसीयत निष्पादित कि गयी है तथा गोदनामे का रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है एवं दत्तक पुत्र देते हुये क्या प्रथाओं कि पालना हुई है यह साक्ष्य उपरान्त तय होगा परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गहनता से अध्ययन न करके अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में फाईन्डिग दी गयी कि प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं कर पाया इसका अर्थ यह हुआ की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 212 का आदेश न करके दावा का आदेश किया गया जो साक्ष्य सुनवाई दावे से सिद्ध होना

आवश्यक है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 212 के प्रार्थना पत्र को दावे के अनुसार आदेश पारित किया गया है। प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के बिन्दु अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सिद्ध कर दिया गया है। प्रार्थी/अपीलान्ट को बाल्यावस्था में ही गोद ले लिया गया था एवं दस्तावेज बाद में निष्पादित किया गया था एवं अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 द्वारा प्रार्थी/अपीलान्ट के पक्ष में जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें अपीलान्ट को गोद लेना स्वीकार किया गया है। अपीलान्ट सद्भाविक है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलार्थी को उक्त कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल कर दिया जाता है तो अपीलार्थी को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगा। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ द्वारा प्रकरण संख्या 75/2016 में पारित आदेश दिनांक 17.03.2020 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि हस्तगत वाद/प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने गोदनामा तहरीर दिनांक 05.09. 1992 एवं दिनांक 06.06.1996 के आधार पर वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो विधि अनुसार रजिस्टर्ड गोदनामा नहीं होने से न तो साक्ष्य में ग्राह्य है न ही उक्त दस्तावेजों का कोई विधिक प्रभाव है। प्रार्थी की उक्त दिनांको को उम्र 30 वर्ष से अधिक होने से उक्त गोद लेने के समस्त तथ्य स्वतः ही अविधिक है और पक्षकारान् के समाज में ऐसी कोई रूढ़ि परम्परा भी नहीं है, जिससे विवादित व्यक्ति को गोद लिया जा सके। दस्तावेज दिनांक 05.02.1992 एवं 06.06.1996 के निष्पादन के वक्त स्व० रामकन्या देवी जीवित थी परन्तु विधि मान्य दत्तक अनुसार उनकी सहमति आवश्यक थी परन्तु उक्त दस्तावेजों में किसी प्रकार से स्व० रामकन्या के भी हस्ताक्षर नहीं है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी किसी भी प्रकार से दत्तक की श्रेणी में नहीं आता है। हस्तगत वाद/प्रार्थना पत्र में स्वयं प्रार्थी ने वादाधीन सहित अन्य भूमियों की जमाबन्दी प्रस्तुत की है जिसमें प्रार्थी के नैसर्गिक पिता स्व० जगदीश प्रसाद की मृत्यु का नामान्तकरण संख्या 2754 दिनांक 20.06.2013 दर्ज किया गया है जिसमें स्व० जगदीश जो प्रार्थी के नैसर्गिक पिता थे की मृत्यु के बाद उनके हिन्दू उत्तराधिकार के प्रथम श्रेणी के वारिसान के रूप में प्रार्थी का नाम भी बतौर उत्तराधिकारी के रूप में दर्ज किया गया है जो प्रार्थी द्वारा तथाकथित दत्तक को प्रथम दृष्टया ही झूठा साबित करते है। प्रार्थी ने उक्त वाद/प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं० 2 लगायत 6 के साथ दुर्भि सन्धि कर प्रस्तुत किया है इसलिए उक्त वाद/प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है। जवाबकर्ती स्व० रामेश्वर प्रसाद की जायन्दा पुत्री है और जवाबकर्ता को अपने हक अधिकारों से वंचित करने के उद्देश्य से प्रार्थी ने हस्तगत झूठा वाद प्रस्तुत किया है। उक्त पैरा के शेष कथन में वर्णित खसरान् पर जवाबकर्ता सहित उसकी शेष बहन मन्जू देवी एवं स्व० बसन्ती देवी का बराबर–बराबर का हिस्सा निहित है परन्तु प्रार्थी ने मन्जू देवी एवं स्व० बसन्ती देवी के वारिसान् के साथ दुर्भि सन्धि कर उन्हें गुमराह कर हस्तगत वाद प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थी किसी भी प्रकार से स्व० रामेश्वर प्रसाद एवं रामकन्या देवी का दत्तक पुत्र नहीं है। रामेश्वर प्रसाद व रामकन्या ने दत्तक के रूप में ग्रहण नहीं किया था, बल्कि अपने जीवन काल में पुत्र संतान नहीं होने के कारण हिन्दू रिति रिवाज अनुसार पगड़ी के दस्तूर हेतु

प्रार्थी को अधिकृत किया था, जिसका नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थी ने झुठे दस्तावेजों के आधार पर स्वयं को स्व० रामेश्वर प्रसाद व रामकन्या का दत्तक घोषित कर लिया है। जवाबकर्ती की माता के जीवनकाल तक उनके हिस्से की निहित सम्पूर्ण भूमि पर उनकी माता का ही कब्जा काश्त था तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् जवाबकर्ती अपने निहित हिस्से भूमि पर काश्त करती कराती चली आ रही है और स्व० रामकन्य की मृत्यु के पश्चात् ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित सजरा अनुसार जवाबकर्ती के हक में सह खातेदारी का नामान्तकरण की कार्यवाही विचाराधीन थी जिससे क्षुब्ध होकर अविधिक प्रभावहीन एवं झुठे दस्तावेजों के आधार पर उक्त नामान्तकरण कार्यवाही में बाधा कारित की और हस्तगत वाद प्रस्तुत कर उसे रोका गया है। प्रश्नगत दस्तावेजों का दत्तक विधि के तहत् किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है ऐसी स्थिति में शून्य एवं निष्प्रभावी दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी के हक में कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए वाद/प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है। जवाबकर्ती अपने जायन्दा पिता स्व० रामेश्वर प्रसाद एवं रामकन्या देवी की हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् प्रथम श्रेणी की वारिस है इसलिये प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के हक में न होकर जवाबकर्ती के हक में है इसके अतिरिक्त जवाबकर्ती हस्तगत वाद/प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपना विरासती नामान्तकरण दर्ज करवाने में निष्फल हो रही है जिससे अप्रार्थीया को अपूर्तनीय क्षति हो रही है और अपनी भूमि से वंचित होने की वजह से उसे अत्यन्त ही असुविधा हो रही है। प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से सक्षम सिविल न्यायालय से दत्तक घोषणार्थ डिक्री प्राप्त नहीं की है। अतः प्रार्थी के अविधिक आधारों पर सक्षम न्यायालय से डिक्री प्राप्त किये बिना जवाबकर्ती को अपने पैतृक अधिकारों से वंचित करने के उद्देश्य से झुठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो मय हर्जे खर्चे निरस्तनीय है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत है, इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को इसी स्तर पर खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 17.03.2020 को निरस्त किए जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को विनिश्चित करने के तीन मूलभूत बिंदु है यथा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति। हमारे द्वारा उक्त न्यायिक नजीरों एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तीन बिंदुओं का विश्लेषण निम्नानुसार है–

प्रथम दृष्टया प्रकरण :– प्रकरण से संबंधित विवादित आराजीयात वाकै ग्राम बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ जिला अजमेर में स्थित है। अपीलांट द्वारा अपील के माध्यम से कथन किया गया कि रामेश्वर प्रसाद द्वारा बंशीधर को गोद पुत्र की हैसियत से गोदपुत्र जरिए वसीयतनामा दिनांक 06.06.1996 अपीलांट के पक्ष में निष्पादित किया

गया जो नोटेरी फाईड है। अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में यूनियन बैंक की पासबुक की कॉपी, निर्वाचक नामावली 2014 व परिवार राशन कार्ड की फोटो प्रति पेश की है। रेस्पोडेंट द्वारा उक्त समस्त दस्तावेजों बाबत कथन किए गए कि उक्त गोदनामा रजिस्टर्ड नहीं है व साक्ष्य के रूप में ग्राहय नहीं है व उक्त दस्तावेजात का कोई विधिक प्रभाव नहीं है। चूंकि उक्त प्रकरण का मूल निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद साक्ष्य व प्रकरण में तनकी अनुसार विवेचन किए जाने के पश्चात ही संभव है। क्यों कि उक्त वाद का मूल निस्तारण अधीनस्थ न्यायायल को ही करना है, अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलांट के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है क्यों कि उक्त दस्तावेजात का परीक्षण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष होना है व अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में ऐसा कोई ठोस प्रमाण या कारण हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण उनके पक्ष में साबित हो। प्रथम दृष्टया प्रकरण को सिद्ध करने का भार अपीलांट पर था जो कि उनके द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण बहक रेस्पोडेंट विरूद्ध अपीलांट तय किया जाता है।

<u>सुविधा का संतुलन</u> *:–* वर्तमान प्रकरण के अवलोकन से यह बात स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण का अंतिम निर्धारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वाद के गुणावगुण के निस्तारण पश्चात ही हो सकेगा। अतः अपीलांट्स द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग करते हुए सुविधा का संतुलन बहक रेस्पोडेंट विरूद्ध अपीलांट सिद्ध होता है।

<u>अपूर्णीय क्षति</u> *:–* अपीलांट द्वारा उठाए गए उज्र प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण पश्चात ही तय किए जा सकते हैं। यदि अपीलांट को चाहा गया अनुतोष प्रदान किया जाता है तो, वर्तमान रेस्पोडेंट्स के विधिक अधिकारों की रक्षा किया जाना संभव नहीं होगा। इसलिए उक्त प्रकरण में अपीलांट की बजाय रेस्पोडेंट को भारी आर्थिक नुकसान होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है वरन इस बाबत अपीलांट की बजाय रेस्पोडेंट्स को होने वाली क्षति व भारी असुविधा जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना संभव नहीं होने से व उक्त आराजीयात बाबत अपीलांट को किस प्रकार क्षति कारित होगी या हुई है, इस बाबत वह अपनी अपील के माध्यम से यह बताने में पूर्णतः असफल रहे है। अतः अपूर्णीय क्षति का बिंदु भी अपीलांट के पक्ष में बनना नहीं पाया जाता है।

प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के तीनों बिंदु रेस्पोडेंटगण के पक्ष में सिद्ध होते है।

यदि धारा 212 के अन्तर्गत स्वविवेक के अधिकारों के प्रयोग में अधीनस्थ न्यायालय ने सामान्य न्याय के सिद्धातों का सही प्रयोग किया है तो अपील व निगरानी न्यायालय को उक्त आदेश में दखल नहीं करना चाहिए **(1973 आर.आर.डी. 417; बहादुरमल बनाम जौहरीलाल, 1973 आर. आर.डी. 400 हीरा बनाम नत्थू)**

अतः उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक नजीरों के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता न्यायालय हाजा को उचित प्रतीत नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

10. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ द्वारा प्रकरण संख्या 75/2016 में पारित आदेश दिनांक 17.03.2020 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 21.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,